न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 73/2019

1 रामसिंह पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मानसिंह पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2 प्रतापसिंह पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
3 मु. अणचीदेवी बेवा स्व. बालाराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
4 पतासी देवी पत्नी स्व. कर्णसिंह पुत्री स्व. बालाराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं। हाल निवासी मेहाड़ा जाटुवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
5 सावित्री देवी पत्नी सुमेरसिंह
6 सुनिता देवी पत्नी मोहरसिंह पुत्रीयां स्व. बालुराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं। हाल आबाद गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
7 राजस्थान ग्रामीण बैंक गाड़ा खेड़ा जरिये शाखा प्रबंधक गाडा खेड़ा जिला झुन्झुनू राज.।
8 भूमिधारक जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
9 दीपककुमार पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
10 नवीन कुमार पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांकित 11.06.2019 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मुकदमा उनवानी मानसिंह बनाम रामसिंह मु.नं. नया 167/2017 पुराना नम्बर 32/2014 दावा बाबत बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—20.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 167/2017 (32/2014) में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 3.02 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम बिशनपुरा पटवार हल्का गाड़ाखेड़ा तहत तहसील बुहाना में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय ने समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश का पेश किया जिसमें दिनांक 28.05.2015 को अंतिम रूप से दावा व प्रतिदावा को निर्णित कर डिक्री पारित की गई। जिस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

निर्णय व अंतिम डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने माननीय न्यायालय के यहां अपील नम्बर 59/2015 पेश की जो दिनांक 24.08.2016 को रिमाण्ड की गई जिस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जो खारिज हो गई। उसके बाद पत्रावली विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2017 को पुनः दर्ज कर दिनांक 11.06.2019 को विचाराधीन निर्णय पारित किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट व उसके भाई ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश की। विचारण न्यायालय नें उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही विचाराधीन निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने के कारण खारिज होने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव बनाकर पेश करने बाबत विचारण न्यायालय ने तहसीलदार को अधिकृत किया था जबकि मौके पर तहसीलदार नहीं गया बल्कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का ने बनाये है उपरोक्त प्रकार से पटवारी हल्का विभाजन प्रस्ताव बनाने के लिये अधिकृत नहीं था। इस प्रकार बिना अधिकृत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विचारण न्यायालय ने गलत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव अपीलान्टस व अन्य प्रभावित पक्षकारों की मौजुदगी में नहीं बनाये। विभाजन प्रस्ताव नियम 8 से 21 के प्रावधानों के मुताबिक नहीं बनाये। विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक नहीं बनाये। खसरा नम्बर 133 में जहां से प्रस्ताव के मकानों के पास से 10 फीट रास्ते का अंकन किया है वहां मौके पर 8 फीट जगह है। खसरा नम्बर 107 में कब्जा काश्त के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव नहीं बनाये। खसरा नम्बर 118 के पश्चिम में रास्ता दर्शित किया है जो सीधा दक्षिण में जानपा चाहिये था जिसको खसरा नम्बर 118 में दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे गलत रूप से घुमाया है। रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

सावित्री ने विचाराधीन निर्णय से पहले ही अपनी जमीन का हक त्याग कर तथा विक्रय कर दिया उसके बावजूद भी उसको विभाजन प्रस्ताव जमीन गलत रूप से दी है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट प्रताप को विभाजन प्रस्ताव में कम उपजाऊ जमीन की है। विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 8 से 21 के प्रावधानों के विपरित होने के कारण विचाराधीन निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय एवं माननीय मण्डल के आदेश की पालना में विचारण न्यायालय द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बुहाना द्वारा तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार बुहाना भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव पर स्पष्ट अंकन है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने हस्ताक्षर करने से मना किया है। भू–अभिलेख निरीक्षक सांवलोद द्वारा दिनांक 18.05.2018 को विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 07.06.2018 को मौके पर उपस्थिति रहने के लिए अपीलांट को सूचित किया गया है। इस नोटिस पर अपीलांट रामसिंह के हस्ताक्षर है। इस विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। इस आपत्ति मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के विभाजन के संदर्भ में आपत्ति की गई थी। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर आपत्ति खारिज कर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शे के अवलोकन से विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किया जाना प्रकट होता है। अन्य किसी सहखातेदार ने विभाजन प्रस्ताव एवं अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अंतिम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय एवं माननीय मण्डल के आदेश की पालना में विचारण न्यायालय द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बुहाना द्वारा तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार बुहाना भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव पर स्पष्ट अंकन है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने हस्ताक्षर करने से मना किया है। भू–अभिलेख निरीक्षक सांवलोद द्वारा दिनांक 18.05.2018 को विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 07.06.2018 को मौके पर उपस्थिति रहने के लिए अपीलांट को सूचित किया गया है। इस नोटिस पर अपीलांट रामसिंह के हस्ताक्षर है। इस विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। इस आपत्ति मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के विभाजन के संदर्भ में आपत्ति की गई थी। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर आपत्ति खारिज कर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शे के अवलोकन से विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किया जाना प्रकट होता है। अन्य किसी सहखातेदार ने विभाजन प्रस्ताव एवं अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर